



2026:AHC:129377

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० - 18757/2026

सागर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद शाहिबे आलम

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं० - 73

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद शाहिबे आलम तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राजेश कुमार शुक्ला को सुना गया।
2. यह आवेदन आवेदक/अभियुक्त-सागर की ओर से बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत मु.अ.सं० 263/2026, अन्तर्गत धारा 109(1) बी.एन.एस. एवं धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना- बागपत, जिला- बागपत में जमानत पर मुक्त करने हेतु दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक तथा दो सह-अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 0263/2026 दि० 29.04.2026 को धारा 109(1) बी.एन.एस. 2023 सपठित धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई कि दि० 28.04.2026 को पुलिस अधिकारियों को प्राप्त सूचना पर, पुलिस अधिकारियों ने बाइक पर सवार आवेदकगण को पकड़ने का प्रयास किया। तत्पश्चात आवेदक सहित अभियुक्तों ने पुलिस अधिकारियों पर गोलीबारी की, यद्यपि उन्हें कोई चोट नहीं आई, किन्तु यह हत्या के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रयास का मामला था। निवेदन है कि आवेदक ने उक्त अपराध कारित नहीं किया तथा यह कोई-चोट-नहीं है का मामला है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक को मु.अ.सं० 262/2026 में भी फंसाया गया है, जिसमें आवेदक को आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० 18575/2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है, तथा एक अपराध-स्वीकृति कथन के आधार पर आवेदक का नाम सामने आया। आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० 19460 सन् 2026, *आर्यन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* में पारित आदेश पर भी भरोसा किया गया, जिसमें सह-अभियुक्त को जमानत प्रदान की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त निवेदनों का खण्डन करते हुए विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह कोई-चोट-नहीं का मामला है, तथापि बी.एन.एस. की धारा 109(1) के अन्तर्गत अपराध बनता है तथा आवेदक घटनास्थल से फरार हो गया था, यद्यपि वे यह तथ्य विवादित नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त को जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया जा चुका है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के निवेदनों पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया आवेदक जमानत पर मुक्त किये जाने का अधिकारी प्रतीत होता है, क्योंकि आवेदक का आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया जा चुका है तथा वह दि० 29.04.2026 से कारागार में है।

6. आवेदक- सागर को मु.अ.सं० 263/2026, अन्तर्गत धारा 109(1) बी.एन.एस. एवं धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना- बागपत, जिला- बागपत में संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षियों को धमकायेगा।

(ii) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र दाखिल करेगा कि साक्ष्य हेतु नियत तिथि, जिस पर साक्षीगण उपस्थित हों, पर वह स्थगन नहीं मांगेगा। व्यतिक्रम की दशा में विचारण न्यायालय इसे जमानत का दुरुपयोग मानते हुए विधि-सम्मत कार्यवाही कर सकेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय बी.एन.एस. की धारा 269 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(iv) जमानत के दुरुपयोग की दशा में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकेगी तथा उसमें नियत तिथि पर उपस्थित न होने पर विचारण न्यायालय बी.एन.एस. की धारा 209 के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा।

(v) आवेदक (1) सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप तय किये जाने, तथा (3) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किये जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय इसे जमानत का दुरुपयोग मानते हुए कार्यवाही कर सकेगा।

(vi) आवेदक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को संबंधित थाने पर उपस्थित रहेगा।

7. यह भी निर्देशित किया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, प्रास्थिति एवं निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित प्राधिकारी द्वारा बंध-पत्र स्वीकार किये जाने से पूर्व किया जाये।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा। आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई कोई भी टिप्पणी साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेगी।

9. तदनुसार जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

29 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।